



आईटीआई लिमिटेड/ITI LIMITED
क्षेत्रीय कार्यालय/REGIONAL OFFICE
डोर स./Door No. 5-9-58/1-15, 1402&03, चौदह मंजिल/14th Floor,
बाबुखान एस्टेट/Babukhan Estate, बशीरबाघ/Basheerbagh,
हैदराबाद/Hyderabad – 500 001
CIN No. L32202KA1950GOI000640
ईओआई/ Expression of Interest-2026/7592

संदर्भ/Ref: ITI/MKTG/MSP/HYD/2026-27/APBIL/7592

Dt.08.09.2026

संचार मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सरकारी उपक्रम आईटीआई लिमिटेड, पात्र बोलीदाताओं/व्यावसायिक सहयोगियों और कंसोर्टियम भागीदारों से तकनीकी-वाणिज्यिक और वित्तीय बोलियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से बोलियां आमंत्रित करता है। अधिकतम 3 बोलीदाता (1 प्रमुख बोलीदाता + 2 भागीदार) हो सकते हैं।

ITI LIMITED, a Central Govt. PSU under the Ministry of Communications invites Bids through online mode for techno commercial bids and financial bids from Eligible Bidders/Business Associates with Consortium partners Max 03 Bidders (1 Lead Bidder +2 Partners)

The Short EOI/Tender submission has to be done through online ITI LIMITED Tender wizard portal <https://itilimited.ewizard.in>

Special Note: Bids without EOI Document cost will be summarily rejected.
Bidders also need to pay the EOI processing fee as applicable while submitting the offers online.

कार्य का विवरण: " आंध्र प्रदेश राज्य में संशोधित भारतनेट प्रोग्राम और APSFL फेज़-I नेटवर्क के लिए स्वतंत्र इंजीनियर के चयन हेतु प्रस्ताव का अनुरोध।"

कृपया आंध्र प्रदेश सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के टेंडर नोटिस नंबर: RFP No. APBIL/IE/2026/002 (दिनांक: 14.07.2026) को देखें और वेबसाइट <https://tender.apecurement.gov.in/> पर जाएं।

Scope of work: "Request for Proposal for Selection of Independent Engineer for Amended BharatNet Program and APSFL Phase-I network in the state of Andhra Pradesh".

Please refer to the eProcurement System Government of Andhra Pradesh tender notice number: RFP No. APBIL/IE/2026/002, dated: 14.07.2026 and visit website: <https://tender.apecurement.gov.in/>

Sl. No.	Description	Details
1	ईओआई संदर्भ संख्या/ Short EOI Ref. No.	ITI/MKTG/MSP/HYD/2026-27/APBIL/7592 Dated: 08.09.2026
2	आईटीआई हैदराबाद में ई ओ आई जमा करने की अंतिम तिथि/Last date for submission of bids against this EOI online	15-09-2026 @ 11:00 घंटे/Hrs.
3	EOI का उद्घाटन/Opening of EOI online (Techno commercial).	15-09-2026 को @ 11:10 घंटे/ Hrs.
4	EOI का उद्घाटन/Opening of EOI online (Financial).	15-09-2026 को @ 16:00 घंटे/ Hrs
5	बयाना राशि जमा (ईएमडी)/Earnest Money Deposit (EMD)	₹18,00,000 (Eighteen Lakh Rupees), valid for at least 210 days. (Selected bidder will be asked to submit the EMD fee)
6	बोली प्रसंस्करण शुल्क/ Bid Processing Fee	Rs. 11,800.00/- (Non-refundable).(Selected bidder will be asked to submit the Bid Processing fee)
7	लेन-देन शुल्क/Transaction Fee	Rs. 26,019 GST (Non-refundable) (Selected bidder will be asked to submit the Transaction Fee)
8	निविदा मूल्य / Tender Value (ECV)	Rs. 10,00,00,000.00 (Approx)
9	परफॉर्मा बैंक गारंटी/Performa Bank Gaurantee	10% of Tender value
10	ऑफर की वैधता/ Validity of Offer	180 days
11	निविदा दस्तावेज मूल्य/EOI (Tender) Document Cost:	Rs.1000.00 + GST @18% (non-refundable)
12	वितरण की अवधि/ Delivery period	12 months
13	Bank details for online payment	ITI LIMITED, State Bank of India, Dooravani nagar Branch, Karnataka. A/c. No. 10637729821 IFSC Code: SBIN0001438

ईओआई निम्न को संबोधित किया जाना चाहिए/The EOI should be addressed to:

उप महाप्रबंधक /The DEPUTY GENERAL MANAGER MSP HYD

डोर स./Door No. 5-9-58/1-15, 1402&03, चौदह मंजिल/14rd Floor,

बाबुखान एस्टेट/Babukhan Estate, बशीरबाग/Basheerbagh,

हैदराबाद/Hyderabad – 500 001

तेलंगाना राज्य/Telangana State,

संपर्क नंबर/ Contact No. 040-23262535, 8019142788

E-Mail: ro_hyd@itilttd.co.in

**The EOI/Tender submission can be done through online ITI LIMITED Tender wizard portal
<https://itilimited.ewizard.com>**

The tender documents can be downloaded from the company website www.itilttd.in, <https://itilimited.ewizard.in> and from government portal eprocure.gov.in.

Corrigendum: Any corrigendum/addendum/errata in respect of the above tender shall be made available at our official website www.itilttd.in / CPP or <https://itilimited.ewizard.in> No further

press advertisements will be given. Hence, all bidders are advised to check the ITI Limited website regularly. Documents submitted in connection with pre-qualification will be treated as confidential and will not be returned.

The bidders (for both Technical and Financial Part of the Bid) would be subjected to an online / e-Tendering process. The prospective bidders are requested to go through <https://itilimited.ewizard.in> to ensure the entire e-Tendering process and follow the registration and bidding process on <https://itilimited.ewizard.in> as defined in the document. In case of any clarifications on e-tender portal, bidders may contact the portal administrators of <https://itilimited.ewizard.in>

The Technical Bid and financial bid shall be uploaded in e-procurements site of ITI Limited (<https://itilimited.ewizard.in>). For submission of online bid and procedure to be followed, visit <https://itilimited.ewizard.in>

All prospective bidders have to register in our e-procurement portal (<https://itilimited.ewizard.in>).

ITI Ltd, Hyderabad reserves the right to accept or reject in part or full, any or all the bids for this tender without assigning any reason.

Eligibility Criteria:

Technical:

1. The Sole Bidder or members of the Consortium (jointly) shall have completed Network Acceptance Testing/ Third Party Audit/ Project consulting/ Project Management consisting of at least **450 Km** of 24F or more OFC network (aerial/ underground) as on bid submission date after 01.04.2018 till bid submission date.
2. The Sole Bidder or members of the Consortium (jointly) shall have completed Network Acceptance Testing/Third Party Audit/ Project consulting/ Project Management consisting of at least **75 active nodes** after 01.04.2018 till bid submission date.

Note: The active nodes to be considered for this criterion can be Routers, Layer-3 Switches, BNGs, PTNs/CPANs, DWDM, OLTs of 16 or more ports, enode-B, BTS and OTN.

3. Bidder shall deploy its permanent staff as per Work Breakdown Structure (WBS). The Sole Bidder or Lead member of the Consortium shall have the personnel on their payrolls for at least one year prior to the month during which this Tender Notice is issued.

Note: Requirements for submission of CVs:

- The CVs for the following roles must be submitted along with the bid:
 - o Project Director
 - o Project Manager
 - The bidder shall submit the CVs of Technical Team (NOC Expert, GIS/PM tool and Network Design experts) within 15 days from the date of AWO. The technical team shall be on the payroll of Sole bidder or any member of the consortium. However, the IE shall deploy the resources within 15 days of the Appointed date.
4. If a Bidder or any member of the Consortium has been declared as non- performer in any DBN project(s) such as BharatNet Project, 4G saturation project, etc., such Bidder or Consortium shall stand not eligible to submit the bid for this EOI.
 5. The Bidder or any member of the Consortium shall not be a Project Implementation Agency (PIA) or its consortium partner for implementation of Amended BharatNet Program. The

Bidder or any member of the Consortium shall not have any direct or indirect relationship with PIA's concerning the implementation of Amended BharatNet Program.

Financial:

1. The average annual turnover of the Bidder in the last three audited financial years i.e., 2023-24, 2024-25 and 2025-26 should be at least INR 3.3 Crores.
2. The Net worth of the Sole Bidder or Lead member of the consortium shall be positive.

Special Note: Bidder should review all the below clauses and submit compliance to indicated YES /NO and fill the required data in the Techno-commercial document online (Excel format) wherever required, and enclose the required documents failing to which bids are liable to be rejection. (For example: In sl. No 1 in compliance column please write the company name and in page No. and enter the page no of the document). The bidder should sign and seal whole Short EOI document and required necessary credentials and submit over online mode only.

क्र.स./ Sl. No.	संदर्भ स./Ref No: ITI/MKTG/MSP/HYD/2026- 27/APBIL/7592	दिनांक/Date 08.09.2026	
	अनुपालन/ Compliance YES / NO (Required documents/Certificates should be attached with this EOI by referring to page nos)		पृष्ठ सं।/ Page No.
1	संगठन का नाम (कंपनी/साझेदारी फर्म/स्वामित्व प्रतिष्ठान, आदि). Name of the Organization (Company/Partnership firm/Proprietorship concern, etc.)		
2	पंजीकरण का प्रमाण पत्र संदर्भ (प्रति संलग्न करें)। Certificate reference of registration (Copy to be enclosed).		
3	निगमन/पंजीकरण की तिथि Date of Incorporation/Registration.		
A	मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/पार्टनरशिप डीड (प्रति संलग्न करें) <i>Memorandum and Articles of Association/partnership deed (Copy to be enclosed)</i>		
B	बोलीदाता के संपर्क विवरण (पदनाम के साथ संपर्क व्यक्ति का नाम, टेलीफोन नंबर, फैक्स, ई-मेल और वेब साइट का पता। <i>Contact Details of the Bidder (Contact person name with designation, Telephone Number, FAX, E- mail and Web site address.</i>		
4	कार्य की प्रकृति/प्रकार जिसके लिए फर्म पंजीकृत है Nature/type of work for which firm is registered.		
5	जीएसटी पंजीकरण संख्या (कृपया प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें) GST Registration no. (please enclose the certificate copy) & EPF registration COPY Also.		
6	आईटी रिटर्न के साथ पैन नंबर (कृपया प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)। PAN No. with IT returns (Please enclose the certificate copy).		

7	पिछले 3 वित्तीय वर्षों का वार्षिक कारोबार लेखा परीक्षित खातों के अनुसार। Annual turnover for last 3 Financial Years As per audited accounts.		
	a) वर्ष/Year		
	b) वर्ष/Year		
	c) वर्ष/Year		
8	लेखापरीक्षित खातों के अनुसार पिछले 3 वित्तीय वर्षों का वार्षिक लाभ। Annual Profit For last 3 financial Years as per Audited accounts.		
	a) वर्ष/Year		
	b) वर्ष/Year		
	c) वर्ष/Year		
9	पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित खातों के अनुसार निवल संपत्ति लाख में। (सकारात्मक होनी चाहिए) (सीए द्वारा जारी) Net worth as per audited accounts for last financial year in Lakhs. (Should have positive) (Issued by CA)		
10	पिछले छह महीनों के दौरान जारी किया गया सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट (प्रति जमा किया जाना है) Solvency certificate issued during the last six months (copy to be submitted)		
11	परियोजनाओं / इसी तरह के कार्यों को संभालने का पिछला अनुभव (व्यावसायिक श्रेणी-वार.) कृपया पीओ के समापन/प्रशंसा पत्रों की प्रतियां संलग्न करें। Past experience of handling projects/similar works (Business category - wise) (Please enclose the Copies of PO's completion/appreciation letters).		
12	प्राप्त पीओ की राशि और विवरण। Amount and details of PO's received.		
13	निष्पादन/पूर्ण किए गए पीओ की राशि और विवरण पूर्णता प्रमाणपत्रों के साथ। Amount and details of PO Executed/completed along with completion certificates.		
14	आईटीआई लिमिटेड के साथ पिछला अनुभव यदि कोई हो। Previous experience with ITI Limited if any.		
15	मूल्य के साथ अगले दो वर्षों के लिए उत्पाद/परियोजना वार व्यापार प्रक्षेपण। Product/Project wise business projection for the next two years with value.		
16	जमा करने की स्वीकृति/Acceptance for submitting: ए. ईएमडी (चयनित बोलीदाता को ईएमडी जमा करने के लिए कहा जाएगा)। EMD: (selected bidder will be asked to submit the Tender cost and EMD).		

	बी. पीबीजी/एसडी, कॉर्पस फंड (चयनित बोलीदाता को एलओए/एलओआई के समय पीबीजी/एसडी जमा करने के लिए कहा जाएगा)। PBG/SD, Corpus fund (Selected bidder will be asked to submit the PBG/SD at the time of LOA/LOI).		
17	अंतिम ग्राहक के सभी तकनीकी, भुगतान और अन्य निविदा नियमों और शर्तों के लिए पूरी तरह से बैक-टू-बैक आधार पर स्वीकृति। Acceptance for all technical, payment and other Tender terms and conditions of end customer on fully back-to-back basis.		
18	ग्राहक से प्राप्त भुगतान की तिथि से आईटीआई लिमिटेड को अतिरिक्त क्रेडिट अवधि, यदि कोई हो। Additional credit period to ITI Limited if any, from the date of payment received from customer.		
19	मैन पावर विवरण/Man power details:		
	क) तकनीकी (ईओआई के अनुसार जनशक्ति विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है)। a) Technical (Require to submit manpower details as per EOI).		
	बी) गैर तकनीकी - (ईओआई के अनुसार जनशक्ति विवरण जमा करने की आवश्यकता है)। b) Non technical – (Require to submit manpower Details as per EOI).		
20	1. आपूर्ति: आईटीआई काम के आपूर्ति हिस्से का 50% लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। Supply: ITI reserves the right to take up 50% of Supply portion of work. 1. स्थापना और कमीशनिंग: 1 Installation & Commissioning: ए। आईटीआई के पास 50% काम अपने आप लेने का अधिकार सुरक्षित है जो कि अनुबंध समझौते के समय तय किया जाएगा / बोलीदाता पर पीओ और आईटीआई लिमिटेड को साझा किया गया मार्जिनआनुपातिक काम के शेष 50% हिस्से पर ही होगा। a ITI reserves the right to take up the 50% of work on its own which will be decided at the time of contract agreement/PO on bidder and Margin shared to ITI Limited will be on balance 50% Portion of the proportionate work only. बी परीक्षण और कमीशनिंग की स्वीकृति बैक-टू-बैक आधार पर होगी Accepting of testing and commissioning will be Back-to-back basis. I. एएमसी सेवाएं/AMC Services: ए। आईटीआई उत्पाद: एएमसी आईटीआई लिमिटेड		

	द्वारा किया जाएगा ITI Products: AMC will be done by ITI Limited. बी। गैर आईटीआई उत्पाद: आईटीआई लिमिटेड के पास काम के 50% हिस्से को अपने दम पर लेने का अधिकार सुरक्षित है जो कि अनुबंध समझौते के समय तय किया जाएगा / बोलीदाता पर पीओ और आईटीआई लिमिटेड मार्जिन अनुपात के केवल शेष 50% हिस्से के काम पर साझा किया जाएगा । Non-ITI Products: ITI Limited reserves the right to take up the 50% portion of work on its own which will be decided at the time of contract agreement/PO on bidder and ITI Limited margin will be shared on balance 50% portion of the Proportionate work only. II. एएमसी सामग्री/AMC Materials: ए। OEM द्वारा व्यवस्थित की जाने वाली दरें आईटीआईएसपी के Rates to be arranged from OEM by ITiSP 's III. वारंटी: अंतिम ग्राहक के नियमों और शर्तों के अनुसार बैक-टू-बैक। WARRANTY: Back-to-back as per terms and conditions of the end customer.		
21	ए. आईटीआई लिमिटेड को प्रस्ताव जमा करने के बाद, यदि आईटीआई लिमिटेड एल 1 खड़ा है और आईटीआईएसपी परियोजना को निष्पादित करने से इंकार कर देता है तो ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा और आईटीआईएसपी के जोखिम और लागत पर कार्य निष्पादित किया जाएगा After submitting the offer to ITI Limited, if ITI Limited stood L1 and ITiSP refuse to execute the project the EMD will be forfeited & work will be executed at the risk and cost of ITiSP बी. एलओए जारी करने के बाद यदि आईटीआईएसपी एलओए में निर्दिष्ट समय के भीतर एसडी/पीबीजी जमा करने में विफल रहता है। एलओए को रद्द माना जाएगा और कार्य को जोखिम पर निष्पादित किया जाएगा और आईटीआईएसपी और ईएमडी की लागत को जब्त कर लिया जाएगा। After issuing the LOA if ITiSP failed to submit the SD/PBG within stipulated time specified in LOA. LOA will be deemed as cancelled and the work will be executed at the risk and cost of the ITiSP and EMD will be forfeited. सी. यदि आईटीआईएसपी एसडी/पीबीजी जमा करने के		

	बाद भी परियोजना को निष्पादित करने में विफल रहता है, तो आईटीआई लिमिटेड द्वारा परियोजना को आईटीआईएसपी के जोखिम और लागत पर निष्पादित किया जाएगा और एसडी/पीबीजी, ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा। If the ITiSP failed to execute the project even after submission of SD/PBG, the project will be executed by ITI Limited at the risk and cost of ITiSP and SD/PBG, EMD will be forfeited. डी. एलडी/पेनल्टी: यदि आईटीआईएसपी/बोलीदाता का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है तो आईटीआई लिमिटेड के पास आईटीआईएसपी/बोलीदाता पर एलडी/पेनल्टी लगाने का पूरा अधिकार होगा, भले ही अंतिम ग्राहक नियम और शर्तें कुछ भी हों। LD/Penalty: ITI Limited will have the full right to impose LD/Penalty on ITiSP/Bidder if the performance of ITiSP/Bidder is not satisfactory, irrespective of end customer terms and Conditions.		
22	अंतिम ग्राहक के आरएफपी/निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार कोटेशन की वैधता की स्वीकृति। Acceptance of validity of the quote as per the Terms and conditions of the RFP/Tender of the end customer.		
23	कोई भी कर भुगतान, जो बैक-टू-बैक शर्तों के अनुसार आईटीआईएसपी को नहीं दिया जा सकता है, वह आईटीआई लिमिटेड को अंतिम ग्राहक से प्राप्त होने के पश्चात भुगतान किया जाएगा। Any tax payment, which cannot be passed on to ITiSP as per back-to-back terms, will be paid by ITI Limited to ITiSP, as and when the same will be received by ITI Limited from end customer.		
24	यदि आईटीआईएसपी/बोलीदाता को पीओ प्रदान किया जाता है तो, आईटीआईएसपी/बोलीदाता को अंतिम ग्राहक के संपूर्ण पीओ मूल्य की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। ITiSP/Bidder should Indemnify the entire PO value of end customer, if awarded on them.		
25	आईटीआईएसपी/बोलीदाता का कार्यालय हैदराबाद में होना चाहिए। ITiSP/Bidder should have office at Hyderabad.		
26	ईओआई प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर बोलीदाता को भारत में किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के विभाग या केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) द्वारा काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए। (पात्रता के अनुसार गैर-ब्लॉक-लिस्टिंग के लिए स्व-प्रमाणन प्रस्तुत किया जा सकता है। (अनुलग्नक-बी) The bidder should not be blacklisted by any Central /State		

	Government Department or Central/State Public Sector Units (PSUs) in India as on submission of EOI proposal. (Self-Certification for Non-Block-listing as per the Eligibility may be submitted. (Annexure - B))		
27	आईटीआईएसपी/बोलीदाता को पूर्व-एकीकृत समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए (अनुलग्नक-ए) ITiSP/Bidder should sign the pre-Integrity pact (Annexure – A)		
28	एलओए देने के बाद परियोजना को क्रियान्वित करते समय, यदि आईटीआई लिमिटेड को अंतिम ग्राहक से कोई अग्रिम भुगतान प्राप्त होता है, तो उसे बैंक गारंटी के 110 प्रतिशत के बदले आईटीआईएसपी/बोलीदाता को जारी किया जा सकता है। After awarding LOA while executing the project, if any advance payment received by ITI Limited from end customer, same can be released to ITiSP/Bidder against 110% of Bank Guarantee.		
29	ईओआई दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए आईटीआईएसपी को नोटरीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करनी होगी और उस के लिए बोर्ड के संकल्प को प्रस्तुत करना होगा। ITiSP has to submit Notarized Power of Attorney for Signing the EOI document and Board resolution for the same.		
30	अवधारणा का प्रमाण (पीओसी), तकनीकी प्रदर्शन/प्रस्तुति को अंतिम ग्राहक के अनुसार चयनित बोलीदाता/ आईटीआईएसपी द्वारा व्यवस्थित किया जाना है। Proof of concept (POC), Technical demonstration/Presentations to be arranged by the selected Bidder/ITiSP as per the end customer.		
31	ए। सामग्री की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आईटीआईएसपी को ओईएम के साथ रणनीतिक साझेदारी करनी चाहिए। ITiSP should have strategic partnership with OEM to ensure in time supply of materials. बी। समर्थन वारंटी और वारंटी के बाद के रखरखाव के लिए वचनबद्धता प्रदान करने के लिए (दस्तावेजी प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए)। <i>To provide undertaking for support warranty and Post warranty maintenance (documentary proof should be enclosed).</i>		
32	आईटीआईएसपी/बोलीदाता को अंतिम ग्राहक के अनुसार ओईएम योग्यता मानदंड के लिए अंडरटेकिंग जमा करना होगा। ITiSP/Bidder should submit the undertaking for OEM qualification criteria as per end customer.		
33	आईटीआईएसपी को सूचित किए जाने के एक दिन के भीतर तकनीकी/वाणिज्यिक अनुपालन और अंतिम ग्राहक की मूल्य		

	बोली प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ITiSP's should be ready to submit the techno/commercial compliance and Price Bid of end customer within one day of intimation to them.		
34	अनुबंधित कार्यो का किसी भी रूप में उप-अनुबंध/उप-पट्टा देना अनुमत नहीं होगा। ((लेटर हेड पर एक वचन पत्र आवश्यक है) Sub contract/ Subletting of the contracted works in any form will not be allowed. (An undertaking is required in letter head)		
35	कृपया कॉर्पोरेट मे सूचीबद्ध संदर्भ का उल्लेख करें। और उस की प्रति संलग्न करें. Please mention the corporate empanel ref. No and enclose the copy of the same		
36	अंडरटेकिंग लेटर जिसमें कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए विशेष रूप से ITI लिमिटेड के साथ काम करेंगे/Undertaking letter stating that exclusively work with ITI Limited for this project.		
37	अनिवार्य सर्टिफिकेशन/Mandatory Certifications and Data sheets (if any) and ISO Certifications ISO 9001: 2000 / ISO 9001:2015		
38	ओईएम प्राधिकरण पत्र /OEM authorization letter		
39	Self declaration documents		

अनुबंध/Annexure-I

उपक्रम (बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर होना) Undertakings (To be on Bidder's Letter Head)

मेसर्स निम्नलिखित कार्य करके यहां करें:

M/s.....do here by undertake the following:

1. इस ईओआई और ग्राहक निविदा नियम और शर्तों के अनुसार आईटीआई के साथ काम करना। इसके अलावा, हम आईटीआई द्वारा बैंक-टू-बैंक आधार पर अनुबंध जीतने की स्थिति में वारंटी और पोस्ट-वारंटी सेवाओं, रखरखाव आदि को कवर करते हुए परियोजना (निविदा नियमों और शर्तों के अनुसार निवेश सहित) को लागू करने के लिए सहमत हैं।

To work with ITI as per this EOI and Customer Tender terms and conditions. Also we agree to implement the project (scope of work as per Tender terms and conditions including investment) covering warranty & post-warranty services, maintenance etc, in the event of ITI winning the contract on back-to-back basis.

2. बोली सुरक्षा (बैंक गारंटी / डिमांड ड्राफ्ट / किसी भी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक से ऑनलाइन भुगतान) और ग्राहक / आईटीआई (आईटीआई द्वारा तय किए गए अनुसार) को प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए निविदा शुल्क, ईएमडी (ग्राहक को बोली जमा करते समय) जमा करना। ग्राहक निविदा नियम और शर्तों के अनुसार। जहां आईटीआई को ईएमडी और पीबीजी प्रदान करने से छूट दी गई है या ग्राहक को बैंक गारंटी के स्थान पर कॉर्पोरेट गारंटी जमा करने की अनुमति है, हम ग्राहक निविदा शर्तों के अनुसार आईटीआई को ईएमडी (ग्राहक को बोली जमा करते समय) और पीबीजी प्रदान करेंगे।

To submit tender fee, EMD (while submitting the bid to the customer) towards bid security (Bank Guarantee / Demand Draft/Online Payment from any Nationalized / Scheduled Bank) & Performance Bank Guarantee to customer / ITI (as decided by ITI) as per Customer Tender terms & conditions. Where ITI is exempted from providing EMD & PBG or allowed to submit Corporate Guarantee in place of Bank Guarantee to customer, we will provide EMD (while submitting the bid to the customer) & PBG to ITI as per customer tender terms.

3. कि हम ग्राहक निविदा में अपेक्षित योग्यता, प्रमाणन और अनुभव के साथ आवश्यक जनशक्ति से लैस होंगे
That we will be equipped with the required manpower with qualifications, certifications and experience as required in the customer tender.

4. कि हम अंतिम ग्राहक द्वारा आवश्यक प्रस्तावित समाधान देने में सक्षम होंगे
That, we will be able to give the proposed solution as required by the end customer.

5. ग्राहक निविदा आवश्यकता के अनुसार ओईएम से आईटीआई के नाम पर अपेक्षित प्रमाण पत्र और समर्थन (वारंटी और पोस्ट-वारंटी/रखरखाव) प्राप्त करना।

To, get required certificate & support (warranty & post-warranty/maintenance) in the name of ITI from the OEM as per customer tender requirement.

6. परिचालन गतिविधियों के लिए प्रासंगिक वैधानिक लाइसेंस प्राप्त करना।
To, obtain relevant statutory licenses for operational activities.

7. ग्राहक के निविदा नियमों और शर्तों के अनुसार ग्राहक निविदा को संबोधित करने के लिए आईटीआई के साथ कंसोर्टियम एग्रीमेंट / टीमिंग एग्रीमेंट, इंटीग्रिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर करना।
To sign Consortium Agreement /Teaming Agreement, Integrity Pact with ITI for addressing the customer tender as per customer's tender terms and conditions.
8. आईटीआई को ग्राहक द्वारा लगाए गए किसी भी दावे / दंड / प्रतिमा शुल्क, परिसमाप्त क्षति, कानूनी खर्च आदि से क्षतिपूर्ति करने के लिए।
To indemnify ITI from any claims / penalties / statutory charges, liquidated damages, with legal expenses etc as charged by the customer.
9. ग्राहक निविदा आवश्यकता के अनुसार ओ ई एम और आईटीआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था करने का वचन दें
Undertake to arrange to sign agreement with OEM and ITI as per customer tender requirement.
10. ग्राहक निविदा आवश्यकता के अनुसार पात्रता और अन्य शर्तों को पूरा करने वाले ओईएम को हमारे द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और ग्राहक बोली जमा करने के लिए आवश्यक पात्रता दस्तावेज और ओईएम के अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।
That OEMs who meet the eligibility and other conditions as per customer tender requirement, will be finalized by us and produce the required eligibility documents and other related documents of the OEM for customer bid submission.
11. एतद्वारा ग्राहक निविदा शर्तों के अनुसार आईटीआई और ओ ई एम (यदि आवश्यक हो) के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते (बैक-टू-बैक आधार पर) में शामिल जिम्मेदारियों को लेने के लिए सहमत हैं।
Hereby agree to take the responsibilities covered in the agreement (on back-to-back basis) to be signed between ITI & OEM (if required) as per customer tender conditions.
12. बैक-टू-बैक अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक गारंटी (अग्रिम के निपटान तक की अवधि के लिए मूल्य का 110%) प्रदान करना।
To provide Bank Guarantee (110% of value for the period till the advance is settled) for getting the advance payment if any, back-to-back.
13. इस ईओआई/निविदा को संबोधित करने के लिए किसी अन्य संगठन के साथ भागीदारी नहीं करना।
Not to partner with any other organization for addressing this EOI/tender.
14. बैक-टू-बैक आधार पर भुगतान शर्तों को स्वीकार करना। दंड, यदि कोई हो, हमारे द्वारा वहन किया जाएगा
To accept payment terms on back-to-back basis. Penalties, if any, will be borne by us.
15. यहां सहमत हैं कि आईटीआई हमारे द्वारा जमा की गई ईएमडी / सुरक्षा को जब्त करने सहित कोई भी दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है, यदि यह पाया जाता है कि हमारे द्वारा प्रदान किया गया कोई भी दस्तावेज / जानकारी (पात्रता सहित निविदा आवश्यकता को पूरा करने के लिए) है निविदा प्रक्रिया/मूल्यांकन के किसी भी स्तर पर गलत/जाली/भ्रामक। ईएमडी को जब्त करने के

संबंध में आईटीआई का निर्णय अंतिम होगा और ईओआई प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर भारत में किसी भी परिस्थिति में केंद्र सरकार/किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार/पीएसयू/संगठित क्षेत्र द्वारा काली सूची में नहीं डाला जाएगा।

Here by agree that ITI may take any punitive action as deemed fit, including forfeiture of EMD / Security submitted by us, if it is found that any of the documents / information Provided by us (to meet the tender requirement including eligibility) is wrong/ forged/ Misleading at any stage of tender processing / evaluation. The decision of ITI regarding Forfeiture of the EMD shall be final and shall not be called upon question under any Circumstances are not blacklisted by Central Govt./ any State or UT Govt./PSU/ organized sector in India as on submission of EOI proposal.

विशेष नियम और शर्तें/SPECIAL TERMS AND CONDITIONS:

1. बोली को अधिमानतः सर्पिल बाउंड किया जाना चाहिए और प्रत्येक पृष्ठ क्रमांकित होना चाहिए।
The bid preferably should be spiral bounded and each page should be serial numbered.
2. आईटीआई काम में तेजी लाने के लिए एच1 और एच2 (उच्चतम मार्जिन बोलीदाताओं) के बीच 70%: 30% अनुपात में शेष आदेश (आईटीआई भाग निकालने के बाद) को विभाजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, बशर्ते एच 2 बोलीदाता एच 1 मार्जिन से मेल खाता हो, और जहां तकनीकी रूप से संभव हो।
3. ITI reserves the right to split the balance orders (after taking out the ITI portion) in 70%: 30% ratio between H1 and H2 (Highest margin bidders) for speeding up the work, provided H2 bidder matches H1 margins offered, and wherever technically feasible.
4. सभी गतिविधियाँ जैसे "नो कॉस्ट नो कमिटमेंट" (एनसीएनसी) के आधार पर अवधारणा का प्रमाण जहाँ भी हो लागू एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी।
All activities like Proof of concept on "No Cost No Commitment" (NCNC) basis wherever Applicable will be the responsibility of agencies.
5. आई टी आई एस पी आई टी आई इंजीनियरों को सेवाओं और परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तैयार होना चाहिए।
ITiSP should be willing to impart required training to ITI engineers for undertaking services & execution of project.
6. बीओएम में किसी भी कमी के लिए 6 आईटीआईएसपी जिम्मेदार होंगे और इसे मुफ्त में ठीक किया जाना चाहिए।
ITiSP's will be responsible for any short coming in the BOM and the same should be rectified free of cost.
7. आईटीआईएसपी को आईटीआई में प्रस्तावित उत्पादों के निर्माण के लिए टीओटी प्रदान करने के लिए तैयार होना चाहिए।
ITiSP should be willing to provide TOT for manufacture of offered products in ITI.
8. आईटीआईएसपी को परियोजना के सुचारु निष्पादन के लिए आईटीआई के साथ एक विशेष समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होना चाहिए।
ITiSP should be willing to sign an exclusive agreement with ITI for smooth execution of the project.

- 9 सभी वाणिज्यिक शर्तें आरएफपी/पीओ के अनुसार होंगी।
All commercial terms will be as per the RFP/PO.
- 10 सभी सीवीसी परिपत्रों/सांविधिक दिशानिर्देशों का जैसा लागू हो, पालन किया जाना चाहिए।
All CVC circulars/Statutory guidelines as applicable needs to be followed.
11. परियोजना के लिए चयनित एजेंसी द्वारा की गई आपूर्ति, आई एंड सी और एएमसी सेवाओं पर आईटीआई को मार्जिन देय होगा।

Margin to ITI would be payable on supply, I&C and AMC services undertaken by the selected agency for the project.

- 12 पात्रता मानदंड के संबंध में सभी अनुभव केवल भारत में अनुभव से संबंधित होंगे। भारत के बाहर का अनुभव इस निविदा के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।
All experiences regarding eligibility criteria will be pertaining to experience in India only. Experience outside India will not be eligible for qualifying under this tender.
- 13 तकनीकी बोली में सभी ईओआई नियमों और शर्तों की स्वीकृति के रूप में बोलीदाता द्वारा सभी पृष्ठों में विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी और "स्वीकृत और अनुपालन" के रूप में चिह्नित पूरे ईओआई दस्तावेज शामिल होने चाहिए।
The technical bid must contain the whole EOI documents duly signed and stamped and marked as "Accepted & Complied" in all the pages by the bidder as an acceptance of all the EOI terms & conditions.
- 14 वारंटी और पोस्ट-वारंटी सेवाओं सहित ईओआई/निविदा नियमों और शर्तों के अनुसार आईटीआई के साथ काम करने का वचन (लेटरहेड पर) और आईटीआई के अनुबंध जीतने की स्थिति में परियोजना के कार्यान्वयन।
Undertaking (on Letterhead) to work with ITI as per EOI/Tender terms and conditions Including warranty & post-warranty services and implementation of the project in the event of ITI winning the contract.
- 15 आईटीआई लिमिटेड से 'अनापत्ति/अना दावा/कोई मुआवजा' का वचन (लेटरहेड पर) यदि यह ईओआई मूल्यांकन प्रक्रिया के किसी भी चरण में आईटीआई द्वारा रद्द कर दिया जाता है या अंतिम ग्राहक द्वारा निविदा रद्द कर दी जाती है।
Undertaking (on Letterhead) of 'No Objection/No Claim/No Compensation' from ITI Limited if this EOI is cancelled at any stage of evaluation process by ITI or the tender is cancelled by the end Customer.
- 16 ईओआई की लागत: बोलीदाता इस ईओआई के खिलाफ अपने प्रस्ताव को तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा, जिसमें आईटीआई द्वारा वांछित होने पर प्रस्ताव के स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए प्रस्तुति की लागत शामिल है। ईओआई प्रक्रिया के आचरण या परिणाम की परवाह किए बिना, आईटीआई किसी भी मामले में उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
Cost of EOI: The bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of his offer against this EOI, including cost of presentation for the purposes of clarification of the offer, if so desired by ITI. ITI will, in no case be responsible or liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of the EOI process.
17. ईओआई में संशोधन: प्रस्तावों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, आईटीआई, किसी भी कारण से, अपनी पहल पर या संभावित बोलीदाता द्वारा अनुरोध किए गए स्पष्टीकरण के जवाब में, ईओआई

दस्तावेज को एक संशोधन द्वारा संशोधित कर सकता है। संभावित बोलीदाता को अपने प्रस्तावों को तैयार करने में संशोधन को ध्यान में रखने के लिए उचित समय प्रदान करने के लिए, आईटीआई, अपने विवेक पर, प्रस्तावों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि बढ़ा सकता है और/या में निर्धारित आवश्यकताओं में अन्य परिवर्तन कर सकता है। ईओआई के लिए आमंत्रण।

Amendment of EOI: At any time prior to the last date for receipt of offers, ITI, may for any reason, whether at its own initiative or in response to a clarification requested by a Prospective bidder, modify the EOI document by an amendment. In order to provide prospective bidder reasonable time in which to take the amendment into account in preparing their offers, ITI may, at their discretion, extend the last date for the receipt of offers and/or make other changes in the requirements set out in the Invitation for EOI.

18. अस्वीकरण: आईटीआई और/या उसके अधिकारी, कर्मचारी किसी भी नुकसान या क्षति से सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं, चाहे वह अनुमानित हो या नहीं, किसी भी जानकारी के कारण कार्य करने वाले या कार्य करने से परहेज करने वाले किसी भी व्यक्ति को बयान, सूचना, पूर्वानुमान, अनुमान या अनुमान शामिल हैं। आईटीआई और/या इसके किसी अधिकारी, कर्मचारी की ओर से किसी चूक, लापरवाही, चूक, देखभाल की कमी या गलत बयानी के संबंध में नुकसान या क्षति उत्पन्न होती है या नहीं, इस दस्तावेज में या इसके सहायक आचरण में।

Disclaimer: ITI and/or its officers, employees disclaim all liability from any loss or damage, whether foreseeable or not, suffered by any person acting on or refraining from acting because of any information including statements, information, forecasts, estimate Or projections contained in this document or conduct ancillary to it whether or not the Loss or damage arises in connection with any omission, negligence, default, lack of care or misrepresentation on the part of ITI and/or any of its officers, employees.

19. आईटीआई किसी या सभी बोलियों पर विचार नहीं करेगा यदि वे ईओआई आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। तथापि, यदि आवश्यक हुआ तो इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाएगा। इच्छुक आईटीआईएसपी ग्राहक निविदा संबंधी जानकारी, ईओआई बोली शर्तों, बोली प्रक्रिया और स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा कर सकता है।

ITI will not consider any or all of the bids if they are not meeting EOI requirements. However, clarification in this regard, if required, will be given. The interested ITISP May like to discuss the customer tender related information, EOI Bidding Conditions, Bidding process and clarifications, if any with the concerned officials.

20. एलओआई प्रदान करने के बाद, विक्रेता को निर्धारित समय के भीतर आवश्यक पीबीजी जमा करना होता है। पीबीजी को देर से जमा करने पर मानदंडों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। After awarding the LOI, the vendor has to submit the required PBG within stipulated time. Late submission of PBG will attract penalty as per norms.

कवर -2 / Cover-2**मूल्यबोली / PRICE BID**

आईटीआई लिमिटेड लिमिटेडक्षेत्रीय कार्यालय / ITI LIMITED REGIONAL OFFICE डोर स./Door No. 5-9-58/1-15, 1402&03, चौदह मंजिल/14th Floor, बाबुखान एस्टेट/Babukhan Estate, बशीरबाघ/Basheerbagh, हैदराबाद/Hyderabad – 500 001		
ई ओ आई संदर्भ संख्या /Short EOI Reference No.	ITI/MKTG/MSP/HYD/2026-27/APBIL/7592 Dt.08.09.2026	
कार्य का वर्णन / Description of the Work	Request for Proposal for Selection of Independent Engineer for Amended BharatNet Program and APSFL Phase-I network in the state of Andhra Pradesh.	
Note: Price bid should submit in itilimited. ewizard portal under financial tab, i.e. Cover – 2. If bidder submit price bid in technical bid the bid liable for rejection		
मूल्य बोली / Price Bid		
संगठन कि नाम / Name of the Organization		
Bid sequence	Item	Overall Quoted Price (Inclusive of all taxes and duties)
A	Lumpsum /Itemized (BoQ) detail of Supply & Service items as per the Schedule of Requirements (SoR) and Scope of Work (SoW) (Final price to be quoted to end Customer) in INR	
B	Quoted Margin to ITI (Percentate of A above	
C	Absolute Value of Margin (in INR)	
D	Overall Quoted Price to ITI Limited (in INR)	
During evaluation bidders with “D” will be considered as L1.		
The bid having higher value of “B” will be selected in case of tied D.		
Signature of authorized person of the bidder: Full Name in Black letters: Seal of the Company.....		

Note: For any queries/clarifications feel free to contact our office in any working days or through our email id: ro_hyd@itiltd.co.in

पूर्व अनुबंध की गहनता इकाई

(सादेकागजपर निष्पादित किया जा सकता है और तकनीकी बोली / निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें आरएस ----- या अधिक का मूल्य हो। बोलीकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। और आईटीआई लिमिटेड की ओर से संबंधित अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए एक ही हस्ताक्षरकर्ता सक्षम / प्राधिकृत। निविदानहीं..... यह अखंडता संधि के दिन 2026 पर बनी है

केबीच:

आईटीआई लिमिटेड, आईटीआई भवन, दूरवानीनगर, बेंगलूर में अपना पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय है - 560 016 और भारत सरकार के संचार और आईटी मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया बाद में प्रिंसिपल कहा जाता है, (जिसे शब्दतबतक बाहररखा जाएगा या जबतक संदर्भ के लिए वापस नहीं लिया जाएगा), इसके अध्यक्ष और प्रबंधनिदेशक, निदेशकों, अधिकारियों या उनमें से किसी को भी अध्यक्ष और प्रबंधनिदेशक द्वारा निर्दिष्ट करने के लिए इसओर शामिल करने के लिए समझा जाता है और इसके उत्तराधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा।

तथा:

।द्वारा प्रतिनिधित्व। मुख्य . के कार्यकारी अधिकारी) इसके बाद बोलीदाता) ओं / (ठेकेदार) ओं (को कहा जाता है), जिसे तबतक नहीं रखा जाएगा, जबतक कि इसके अपवादको निरस्त नहीं किया जाता या इसे इसके उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों और बोलीदाता / अनुबंध के असाइन को शामिल करने के लिए समझा जाता है। दूसरा भाग।

प्रस्तावना

प्रधानाचार्य पुरस्कार के लिए संगठनात्मक प्रक्रियाओं, निविदा / अनुबंध) स्टोर / उपकरणों / वस्तुओं का नाम (के तहत पुरस्कार देने का इरादा रखता है। प्रधानाध्यापक, भूमिके सभी प्रासंगिक कानूनों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और निष्पक्षता / पारदर्शिता के संबंध में अपने बिडर) एस / (ठेकेदार) एस (के साथ पूर्ण अनुपालन का महत्व देते हैं।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रिंसिपल ने एक स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) नियुक्त किया है, जो इस समझौते में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन के लिए निविदा प्रक्रिया और अनुबंध के निष्पादन की निगरानी करेगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, दोनों पक्ष इस अखंडता समझौते में प्रवेश करने के लिए सहमत हुए हैं और नियम और शर्तें भी अभिन्न अंग और निविदा दस्तावेजों के पार्सल और पार्टियों के बीच अनुबंध के रूप में पढ़ी जाएंगी।

अब इसके अलावा, इस देश में आनेवाले दलों की संख्या के हिसाब से मुतवल्लीवर्गों की संख्या में वृद्धि हुई है और इस समझौते के तहत इस समझौते को लागू किया जा रहा है:

खंड1 - मूलसिद्धांत

1.1 प्रधानाचार्य भ्रष्टाचार को रोकने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए स्वयंको प्रतिबद्ध करता है:

ए। प्रिंसिपल का कोई कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से, अनुबंध या मांगके निष्पादन के लिए निविदा के संबंध में, स्वयं या तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी सामग्री या सारलाभके लिए एकवादा नहीं करता है या स्वीकारकरता है, जो व्यक्तिगत है कानूनीरूप से हकदार नहीं है।

ख। प्रधानाचार्य, निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी बोलीदाताको इक्विटी और कारण के साथव्यवहारकरेंगे। टेंडरप्र क्रिया से पहले और उसके दौरान प्रिंसिपल विशेष रूपसे, सभी बोलीदाता को समान जानकारी प्रदान करेंगे और किसी भी बोलीदाता) ओं (कोगोपनीय / अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेंगे, जिसके माध्यम से बोलीलगानेवाले को संबंधमें एकलाभ मिल सके। निविदाप्र क्रियाया अनुबंध निष्पादन के लिए।

सी। प्रधानाचार्य सभी ज्ञातपूर्वाग्रही व्यक्तियों की प्रक्रिया से बाहर करदेंगे।

1.2 यदि प्रधानाचार्य अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जो आईपीसी / पीसी अधिनियम के तहत एक आपराधिक अपराध है या यदि इस संबंध में कोई ठोस संदेह है, तो प्रिंसिपल मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचितकरेगा और इसके अलावा अनुशासनात्मक पहल कर सकता है। इसकी आंतरिक निर्धारित नियमों / विनियमों के अनुसार कार्रवाई।

खंड2 - बोलीदाता / अनुबंधकर्ताकीसमितियां

2.1 बोलीदाता (ओं) / ठेकेदार (ओं) ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए खुदको प्रतिबद्ध किया वह निविदा प्रक्रिया में भागीदारी के दौरान और अनुबंध के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करता है।

ए। निविदाकर्ता प्रक्रियामें शामिल प्रधानाचार्य के कर्मचारियों या अनुबंध के निष्पादन या किसी भी तीसरे व्यक्तिको किसी भी सामग्री के लिए बोली लगाने (ओं) / ठेकेदार (ओं), सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की पेशकश, वादा या देनेके लिए नहीं होगा निविदा प्रक्रिया के दौरान या अनुबंधके निष्पादन के दौरान किसी भी तरह के किसी भी लाभ के बदले में वह अन्य लाभ जो वह / वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, को प्राप्त करनेके लिए।

ख। बोलीदाता (ओं) / ठेकेदार (एस) अन्य बोलीदाताओं / ठेकेदारों के साथ किसी भी अज्ञात समझौते या समझमें प्रवेश नहीं करेंगे, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यहविशेषरूपसे कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणपत्रों, सहायकअनुबंधों, बोलियोंको प्रस्तुत करने यागैर-अधीनता या प्रतिस्पर्धाको प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में कार्टिलाइजेशन लागूकरने के लिए किसी भी अन्य कार्योपर लागू होता है।

सी। व्यक्तिगत लाभ की प्रतियोगिता के लिए, या दूसरों के पासजाने के लिए बोली लगाने वाले (ठेकेदार), आईपीसी / पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे, आगे बोलीदाता (ठेकेदार) / ठेकेदार (एस) अनुचित रूप से उपयोग नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सम्मिलित या प्रेषित जानकारी सहित योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के संबंध में प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी या दस्तावेज।

घ। विदेशी मूल के बोलीदाता (ठेकेदार) / ठेकेदार (एस) भारत में एजेंटों / प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करेंगे, यदि कोई हो। इसी प्रकार, भारतीय राष्ट्रीयता के बोलीदाता (ठेकेदार) / ठेकेदार (विदेशी) रियासतों का नाम और पता प्रस्तुत करेंगे, यदि कोई हो।

ई। बोलीदाता (ओं) / ठेकेदार (ओं) को, बोली प्रस्तुत करते समय, किए गए किसी भी और सभी भुगतानों का खुलासा करना होगा, जो अनुबंध के पुरस्कार के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य बिचौलियों को बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं या करना चाहते हैं।

च। बोलीदाता (ओं) / ठेकेदार (ओं) को कोई बाहरी प्रभाव और सरकार निकायों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बोली को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में नहीं लाएगा।

जी। बोलीदाता (ओं) / ठेकेदार (s) ऊपर उल्लिखित अपराधों के लिए या ऐसे अपराधों के लिए एक सहायक होने के लिए तीसरे व्यक्तिको उकसाएंगे नहीं।

खंड 3 - भविष्य के परिणामों से निविदा प्रक्रिया और निष्कासन से संबंधित विवरण

3.1 यदि निविदा प्रक्रिया के दौरान या अनुबंध के दौरान या निष्पादन के दौरान बिडर (ठेकेदार), ठेकेदार, ने धारा 2 या उससे अधिक के उल्लंघन में कोई अपराध किया है, जैसे कि उसकी विश्वसनीयता या विश्वसनीयता डालने के लिए प्रश्न में प्रिंसिपल निविदा प्रक्रिया से बोलीदाता (ओं) / ठेकेदार (एस) को अयोग्य घोषित करने का हकदार है।

3.2 यदि बोलीदाता (ओं) / ठेकेदार (ओं) ने उपरोक्त की धारा 2 के उल्लंघन के माध्यम से एक अपराध किया है, जैसे कि उसकी विश्वसनीयता या विश्वसनीयता को सवाल में डालने के लिए, प्रिंसिपल भविष्य के निविदा को ब्लैक लिस्ट करने सहित बाहर करने का हकदार होगा / अनुबंध पुरस्कार प्रक्रिया। अपवर्जन का अधिरोपण और अवधि परिवर्तन की गंभीरता से निर्धारित की जाएगी। प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्येक मामले के पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गंभीरता का निर्धारण किया जाएगा, विशेष रूप से प्रतिगमन की संख्या को ध्यान में रखते हुए, बिडर (ओं) / ठेकेदार (ओं) की कंपनी पदानुक्रम के भीतर प्रतिगमन की स्थिति और नुकसान की राशि। अपवर्जन न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाएगा।

3.3 बोलीदाता (ठेकेदार) / ठेकेदार अपनी स्वतंत्र सहमति के साथ और किसी भी प्रभाव के बिना सहमत होते हैं और इस तरह के बहिष्करण को आगे बढ़ाने और स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रिंसिपल के पूर्ण अधिकार का सम्मान और समर्थन करने के लिए सहमत होते हैं। ऐसे बहिष्कार का सहारा लेने के निर्णय से पहले किसी भी

सुनवाई की कमी सहित कोई भी आधार लिया जाता है। उपक्रमस्वतंत्ररूपसे और स्वतंत्रकानूनी सलाह प्राप्त करने के बाद दिया जाता है।

3.4 यदि ऐसा माना जाता है कि उपलब्ध साक्ष्योंपर विचार करने के बाद प्रधानाचार्य कानिष्कर्ष है कि उपलब्धतथ्यों के आधार पर कोई भौतिक संदेह नहीं है।

3.5 इस इंटीग्रेटीपैक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रभाव के लिए प्रिंसिपल का निर्णय बिडर (एस) / ठेकेदार (एस) द्वारा किया गया है, अंतिम और बिडर (एस) / ठेकेदार (एस) पर बाध्यकारी होगा, हालांकि इस संधिके उद्देश्य से नियुक्तबिडर (ठेकेदार) / ठेकेदार आईईएम सेसंपर्क कर सकते हैं।

3.6 अखंडतासंधि बोलीदाता (ओं) / ठेकेदार (ओं) के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रतिबंध / अयोग्यता की घटनापर, इसखाते पर किसीभी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

प्रिंसिपल की पूर्ण संतुष्टि के अधीन, बिडर (एस) / ठेकेदार (एस) के बहिष्कार को प्रिंसिपल द्वारा रद्द किया जा सकता है अगर बिडर (एस) / ठेकेदार (एस) यह साबितकर सकता है कि उसने नुकसानको बहाल किया है / पुनः स्थापित किया है। उनके द्वारा और उनके संगठन में एक उपयुक्त भ्रष्टाचार निवारक प्रणाली स्थापित की है।

खंड4 - पूर्वपरिवर्तन

4.1 बिडर (ठेकेदार) / ठेकेदार (एस) घोषणा करता है कि पिछले 3 वर्षों में किसी भी अन्य कंपनी के साथ इस वफादारी संधिपर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले कोई भी पूर्वसंक्रमण नहीं हुआ है, जो किसी भी देशमें भ्रष्टाचार-विरोधी / पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय (TI) दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारत के किसी भी सरकारी विभाग के भारत में किसी भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / उपक्रमों के साथ जो निविदा प्रक्रिया से उनके बहिष्कार को उचित ठहरा सकते हैं।

4.2 यदि बिडर (ठेकेदार) / ठेकेदार इस विषय पर गलत बयान देते हैं, तो उन्हें निविदा प्रक्रिया से अयोग्य ठहराया जा सकता है या उनके बहिष्कारके लिए कार्रवाई की जा सकती है जैसा कि धारा -2 के उल्लंघन के लिए उपरोक्त धारा 3 के तहत उल्लिखित है। उपरोक्त और इस संधिके धारा- 5 के अनुसार हर्जाने के मुआवजे के लिए उत्तरदायी होगा।

खंड5 - क्षतिके लिए मुआवजा

5.1 यदि प्रधानाचार्य ने धारा 3 के अनुसार पुरस्कार से पहले निविदा प्रक्रिया से बोलीदाता (ठेकेदार) / ठेकेदार को अयोग्य घोषित कर दिया है, तो प्रिंसिपल अर्नेस्टमनी डिपॉजिट / बिडसिक्योरिटी / डिमांडको वापस लेने और क्षतिपूर्ति के बराबर होने का हकदार है। बयाना मनी डिपॉजिट / बिडसिक्योरिटी किसी भी अन्य कानूनी के अलावा जो प्रिंसिपल के लिए अर्जित हो सकती है।

5.2 प्रधानाचार्य के ऊपर 5.1 के अलावा ठेकेदार की चूकके कारण अनुबंध की समाप्ति से संबंधित अनुबंध के संबंधित प्रावधान के लिए सहारा लेने का हकदार रहेगा। ऐसे मामले में, प्रिंसिपल ठेकेदार के प्रदर्शन बैंक गारंटी को रद्द करने या मांग और समाप्ति के खिलाफ अनुबंध समझौते के प्रावधानों के अनुसार परिसमापन और सभी नुकसान की वसूली करने का हकदार होगा।

खंड 6 – सभी बोलीदाताओं / ठेकेदारों का एक समान उपचार

6.1 प्रधानाचार्य समान मामलों के लिए सभी बोलीदाताओं और ठेकेदारों के साथ सभी समान शर्तों पर वफादारी संधि में प्रवेश करेंगे।

6.2 बोलीदाता (ठेकेदार) / ठेकेदार इस समझौते को अपने उपमहाद्वीप (एस) / उप-विक्रेता (एस) / सहयोगी (एस), यदि कोई हो, और प्रधान के साथ ही प्रस्तुत करने के लिए हस्ताक्षरित करने का कार्य करते हैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले निविदा दस्तावेज / अनुबंध। बिडर (ओं) [कॉन्ट्रैक्टर (ओं) को इसके किसी भी उप-ठेकेदार / उप-विक्रेता / सहयोगियों द्वारा वफादारी संधि समझौते में निर्धारित प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार रहेगा।

6.3 प्रधानाचार्य उन सभी बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करेगा जो इस वफादारी संधि पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

खंड 7 – क्रमानुसार प्रभार लेनेवाली बोलीदाता (एस) / ठेकेदार (एस)

7.1 यदि प्रधानाध्यापक को किसी बिड-ठेकेदार (एस) या उप-ठेकेदार / उप-विक्रेता / बिडर (एस) / ठेकेदार (एस) के सहयोगियों के आचरण की कोई सूचना प्राप्त होती है, जो भ्रष्टाचार का गठन करता है या यदि प्राचार्य को इस संबंध में संदेह है प्राचार्य उचित कार्यवाही के लिए प्रधान के मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेंगे।

खंड 8 – स्वतंत्र बाहरी प्रबंधक (एस)

8.1 इस संधि के लिए प्रिंसिपल सक्षम और विश्वसनीय स्वतंत्र मॉनिटर (ओं) को नियुक्त करता है। मॉनिटर का कार्य स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करना है, चाहे पक्ष इस समझौते के तहत दायित्वों का पालन करें या नहीं।

8.2 मॉनिटर पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी निर्देश के अधीन नहीं है और अपने कार्यों को न्यूट्रल और स्वतंत्र रूप से करता है। वह प्रिंसिपल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करेंगे।

8.3 बिडर (कॉन्ट्रैक्टर) / कॉन्ट्रैक्टर यह स्वीकार करता है कि बिडर (ओं) / कॉन्ट्रैक्टर (ओं) द्वारा प्रदान किए गए सहित प्रधानाचार्य के सभी उत्पाद प्रलेखन के लिए मॉनिटर को प्रतिबंध के बिना उपयोग करने का अधिकार है। बोलीदाता (ओं) / ठेकेदार (ओं) को भी मॉनिटर प्रदान करेगा, उनके अनुरोध पर और एक वैध हित के प्रदर्शन, अप्रतिबंधित और बिना शर्त उनकी परियोजना प्रलेखन के लिए उपयोग। मॉनिटर गोपनीयता और बिडर (ठेकेदार) / ठेकेदार (एस) की जानकारी और गोपनीयता के साथ व्यवहार करने के लिए संविदात्मक दायित्व के तहत है।

प्रधानाचार्य परियोजना से संबंधित पक्षों के बीच सभी बैठकों के बारे में मॉनिटरको पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते कि ऐसी बैठक प्रधानाचार्य और बोलीदाता (ओं) / ठेकेदार (ओं) के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव डाल सकती है। जैसे ही मॉनिटर नोटिस करता है, या नोटिस पर विश्वास करता है, इस समझौते का उल्लंघन करता है, वह प्रधानाचार्य के प्रबंधन को सूचित करेगा और प्रबंधन से अनुरोध करेगा कि वह सुधारात्मक कार्रवाई करे, या अन्य प्रासंगिक कार्रवाई करे। मॉनिटर इस संबंध में गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, मॉनिटर को पार्टियों से मांगकरने का कोई अधिकार नहीं है कि वे विशिष्ट तरीके से कार्य करते हैं, कार्रवाई से बचते हैं या कार्रवाई को बर्दाश्त करते हैं।

8.5.५ मॉनिटर ---- प्रधानाचार्य के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को एक लिखित रिपोर्ट ----- से ----- सप्ताह तक भेजेगा, संदर्भ की तारीख से या प्राचार्य द्वारा उसे सूचित करना चाहिए। समस्या उत्पन्न करने वाले परिस्थितियों को सुधारने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

8.6 यदि मॉनिटर ने प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के प्रबंध निदेशक को प्रासंगिक आईपीसी / पीसी अधिनियम के तहत अपराध का संदेह व्यक्त किया है, और प्रिंसिपल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने उचित समय के भीतर कार्रवाई के लिए दिखाई कार्रवाई नहीं की है ऐसा अपराध या मुख्य सतर्कता अधिकारी को इसकी सूचना दी, मॉनिटर इस सूचना को सीधे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भी प्रेषित कर सकता है।

8.7 'मॉनीटर' शब्द में एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।

8.8 वर्तमान में प्रिंसिपल द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर का विवरण नीचे प्रस्तुत है: -

आईईएम-I

श्री अतुल जिंदल, आईएफएस (सेवानिवृत्त)

3/10, विशेष खंड, लिटिल फ्रेंड स्कूल के सामने,

गोमती नगर

लखनऊ-226006

आईईएम-II

श्री बेनी जॉन, आईआरएस (सेवानिवृत्त)

विला नंबर 36, केंट पाम विला

फोर्ट वैली टाउन शिप, अथानी,

कक्कानाड,

एर्नाकुलम- 682030

वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित / वांछित के अनुसार कोई भी परिवर्तन लागू है।

खंड 9 – निवेश की सुविधा

9.1 इस संधि के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या कमीशन के भुगतान के किसी भी आरोप के मामले में, प्रिंसिपल या इसकी एजेंसियां बिडर (एस) / कॉन्ट्रैक्टर (ओं) के खातों सहित सभी दस्तावेजों की जांच करने की

हकदा रहोंगी। बोलीदाता (ओं) / ठेकेदार (ओं) को अंग्रेजी में आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे और दस्तावेजों के सत्यापन के उद्देश्य से प्रधानाचार्य को सभी मददका विस्तार करना होगा।

खंड10 – कानून और न्याय

10.1 संधि भारतीयक्षेत्र में लागू कानून के अधीन है। प्रदर्शन और क्षेत्राधिकार का स्थान प्रधानकी सीट होगी।

10.2 इस संधि में निर्धारित की गईकार्रवाई किसी भी अन्य कानूनीकार्रवाई के पक्षपात के बिना है जो किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही से संबंधित मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार हो सकती है।

खंड11 - अंकविभाजन

11.1 यह समझौता तब शुरू होता है जब दोनों पक्षों ने कानूनीरूप से इसपर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रधानाचार्य की पूर्णसंतुष्टि के लिए, परियोजना / कार्यकीवारंटी / गारंटी अवधि के पूराहोनेपर 12महीने के बाद समाप्त हो रहा है।

11.2 यदि बोलीदाता (ओं) / ठेकेदार (एस) असफलहैं, तो बोलीदाता (ओं) / ठेकेदार (ओं) की ओरसे विफलता के प्रमाणपर तीनमहीने के बाद संधिस्वतः अमान्य हो जाएगी।

११.३ यदि किसी दावेको संधिकीवैधता के दौरानदर्ज कियागयाहै / किया गयाहै, तो वह तबतक बाध्यकारी रहेगा और तबतक मान्य रहेगा जबतक कि वह प्रधानाचार्य के अध्यक्ष और प्रबंधनिदेशक द्वारा छुट्टी / निर्धारित नहीं किया जाता।

खंड12 - अन्यप्रावधान

12.1 यह समझौता भारतीयकानून के अधीन है, प्रदर्शन और अधिकारक्षेत्र का स्थान बेंगलुरु में प्रिंसिपल का पंजीकृत और कॉर्पोरेटकार्यालय है।

12.2 परिवर्तन और पूरककेसाथ-साथ समाप्ति नोटिस दोनोंपक्षों द्वारा लिखितरूप में किए जाने की आवश्यकता है। साइडएग्रीमेंट नहीं किए गए हैं।

12.3 यदि बोलीदाता (ओं) / ठेकेदार (ओं) या एक साझेदारी, संधिको सभी संघ के सदस्यों और भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

12.4 क्याइससंधि के एक या कईप्रावधान अमान्यहोनेचाहिए, इससंधि के शेष वैधबनेरहे। इसमामले में, पक्ष अपने मूल इरादों के लिए एक समझौते पर आने का प्रयास करेंगे।

12.3 इस संधिकी अवधि के संबंध में पक्षकारों के बीच उत्पन्नहोनेवाले कोईभी विवाद / अंतर, इस संधि या उसके अनुसार प्रधानाचार्य द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई किसीभी मध्यस्थता के अधीन नहीं होगी।

12. 4 इस वफादारीसंधि में कार्रवाई कि सीभी अन्यकानूनी कार्रवाई के पक्षपात के बिनाहोती है जो किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही से संबंधित मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार हो सकती है।

गवाह में जहांपार्टियों ने इस अखंडतासंधि पर हस्ताक्षर किए हैं और उसस्थानपरतारीख और क्रियान्वयन किया है जो पहले गवाह की उपस्थिति में उल्लिखित किया गया है:

प्रमुख	फॉरबेडर (एस) / अनुबंधकर्ता (एस) के लिए
-----	-----
(नामऔरपदनाम)	(नामऔरपदनाम)
गवाह	गवाह
1)-----	1)-----
2) -----	2) -----

Annexure - A

PRECONTRACT INTEGRITY PACT

(To be executed on plain paper and submitted along with Technical Bid/ Tender Documents having a value of RS----- or more. To be signed by the bidder and same signatory Competent/ Authorized to sign the relevant contract on behalf of the ITI Ltd).

Tender No.....

THIS Integrity Pact is made on.....day of.....20 .

BETWEEN:

ITI Limited _____ having its Registered & Corporate Office at ITI Bhavan, Dooravaninagar, Bangalore — 560 016 and established under the Ministry of Communications & IT, Government of India (hereinafter called the Principal), which term shall unless excluded by or is repugnant to the context, be deemed to include its Chairman & Managing Director, Directors, Officers or any of them specified by the Chairman & Managing Director in this behalf and shall also include its successors and assigns) ON THE ONE PART

AND:

.....Represented by _____.Chief Executive Officer (hereinafter called the Bidder(s)/Contractor(s)), which term shall unless excluded by or is repugnant to the context be deemed to include its heirs, representatives, successors and assigns of the bidder/contract ON THE SECOND PART.

Preamble

WHEREAS the Principal intends to award, under laid down organizational procedures, tender/ contract for _____.(name of the Stores/equipments/items).The Principal, values full compliance with all relevant laws of the land, regulations, economic use of resources and of fairness/ transparency in its relations with its Bidder(s)/ Contractor(s).

In order to achieve these goals, the Principal has appointed an Independent External Monitor (IEM), who will monitor the tender process and the execution of the contract for compliance with the principles as mentioned herein this agreement.

WHEREAS, to meet the purpose aforesaid, both the parties have agreed to enter into this Integrity Pact the terms and conditions of which shall also be read as integral part and parcel of the Tender Documents and contract between the parties.

NOW THEREFORE, IN CONSIDERATION OF MUTUAL COVENANTS STIPULATED IN THIS PACT THE PARTIES HEREBY AGREE AS FOLLOWS AND THIS PACT WITNESSETH AS UNDER:

SECTION 1 — COMMITMENTS OF THE PRINCIPAL

- 1.1 The Principal commits itself to take all measures necessary to prevent corruption and to observe the following principles:
 - a. No employee of the Principal, personally or through family members, will in connection with the tender for or the execution of the contract, demand, take a promise for or accept, for self or third person, any material or immaterial benefit which the person is not legally entitled to.
 - b. The Principal will, during the tender process treat all bidder(s) with equity and reason. The Principal will in particular, before and during the tender process, provide to all bidder(s) the same information and will not provide to any bidder(s) confidential/additional information through which the bidder(s) could obtain an advantage in relation to the tender process or the contract execution.
 - c. The Principal will exclude from the process all known prejudiced persons.
- 1.2 If the Principal obtains information on the conduct of any of its employee, which is a criminal offence under IPC/PC Act or if there be a substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the Chief Vigilance Officer and in addition can initiate disciplinary action as per its internal laid down Rules/ Regulations.

SECTION 2 — COMMITMENTS OF THE BIDDER/ CONTRACTOR

- 2.1 The Bidder(s)/Contractor(s) commits himself to take all measures necessary to prevent corruption. He commits himself observe the following principles during the participation in the tender process and during the execution of the contract.
 - a. The bidder(s)/contractor(s) will not, directly or through any other person or firm offer, promise or give to any of the Principal's employees involved in the tender process or the execution of the contract or to any third person any material or other benefit which he/she is not legally entitled to, in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever during the tender process or during the execution of the contract.

- b. The bidder(s)/contractor(s) will not enter with other bidders/contractors into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal. This applies in particular to prices, specifications, certifications, subsidiary contracts, submission or non-submission of bids or any other actions to restrict competitiveness or to introduce cartelization in the bidding process.
- c. The bidder(s)/contractor(s) will not commit any offence under IPC/PC Act, further the bidder(s)/contractor(s) will not use improperly, for purposes of competition of personal gain, or pass onto others, any information or document provided by the Principal as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained or transmitted electronically.
- d. The Bidder(s)/Contractor(s) of foreign origin shall disclose the name and address of the agents/representatives in India, if any. Similarly, the Bidder(s)/Contractor(s) of Indian Nationality shall furnish the name and address of the foreign principals, if any.
- e. The Bidder(s)/Contractor(s) will, when presenting the bid, disclose any and all payments made, are committed to or intend to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the award of the contract.
- f. The Bidder(s)/Contractor(s) will not bring any outside influence and Govt. bodies directly or indirectly on the bidding process in furtherance to his bid.
- g. The Bidder(s) /Contractor(s) will not instigate third persons to commit offences outlined above or **to be an accessory to such offences.**

SECTION 3 - DISQUALIFICATION FROM TENDER PROCESS & EXCLUSION FROM

FUTURE CONTRACTS

- 3.1 If the Bidder(s)/Contractor(s), during tender process or before the award of the contract or during execution has committed a transgression in violation of Section 2, above or in any other form such as to put his reliability or credibility in question the Principal is entitled to disqualify Bidder(s)/ Contractor(s) from the tender process.
- 3.2 If the Bidder(s)/Contractor(s), has committed a transgression through a violation of Section 2 of the above, such as to put his reliability or credibility into question, the Principal shall be entitled exclude including blacklisting for future tender/ contract award process. The imposition and duration of the exclusion will be determined by the severity of the transgression. The severity will be determined by the Principal taking into consideration the full facts and circumstances of each case, particularly taking into account the number of transgression, the position of the transgressor within the company hierarchy of the Bidder(s)/Contractor(s) and the amount of the damage. The exclusion will be imposed for a period of minimum one year.
- 3.3 The Bidder(s)/Contractor(s) with its free consent and without any influence agrees and undertakes to respect and uphold the Principal's absolute right to resort to and impose

such exclusion and further accepts and undertakes not to challenge or question such exclusion on any ground including the lack of any hearing before the decision to resort to such exclusion is taken. The undertaking is given freely and after obtaining independent legal advice.

- 3.4 A transgression is considered to have occurred if the Principal after due consideration of the available evidence concludes that on the basis of facts available there are no material doubts.
- 3.5 The decision of the Principal to the effect that breach of the provisions of this Integrity Pact has been committed by the Bidder(s)/ Contractor(s) shall be final and binding on the Bidder(s)/ Contractor(s), however the Bidder(s)/ Contractor(s) can approach IEM(s) appointed for the purpose of this Pact.
- 3.6 On occurrence of any sanctions/ disqualifications etc arising out from violation of integrity pact Bidder(s)/ Contractor(s) shall not entitled for any compensation on this account.
- 3.7 subject to full satisfaction of the Principal, the exclusion of the Bidder(s)/ Contractor(s) could be revoked by the Principal if the Bidder(s)/ Contractor(s) can prove that he has restored/ recouped the damage caused by him and has installed a suitable corruption preventative system in his organization.

SECTION 4 — PREVIOUS TRANSGRESSION

- 4.1 The Bidder(s)/ Contractor(s) declares that no previous transgression occurred in the last 3 years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country conforming to the anti-corruption/ transparency International (TI) approach or with any other Public Sector Enterprises/ Undertaking in India of any Government Department in India that could justify his exclusion from the tender process.
- 4.2 If the Bidder(s)/ Contractor(s) makes incorrect statement on this subject, he can be disqualified from the tender process or action for his exclusion can be taken as mentioned under Section-3 of the above for transgressions of Section-2 of the above and shall be liable for compensation for damages as per Section- 5 of this Pact.

SECTION 5 — COMPENSATION FOR DAMAGE

- 5.1 If the Principal has disqualified the Bidder(s)/Contractor(s) from the tender process prior to the award according to Section 3 the Principal is entitled to forfeit the Earnest Money Deposit/Bid Security/ or demand and recover the damages equitant to Earnest Money Deposit/ Bid Security apart from any other legal that may have accrued to the Principal.
- 5.2 In addition to 5.1 above the Principal shall be entitled to take recourse to the relevant provision of the contract related to termination of Contract due to Contractor default. In such case, the Principal shall be entitled to forfeit the Performance Bank Guarantee of the Contractor or demand and recover liquidate and all damages as per the provisions of the contract agreement against termination.

SECTION 6 — EQUAL TREATMENT OF ALL BIDDERS/ CONTRACTORS

- 6.1 The Principal will enter into Integrity Pact on all identical terms with all bidders and contractors for identical cases.
- 6.2 The Bidder(s)/ Contractor(s) undertakes to get this Pact signed by its subcontractor(s)/ sub-vendor(s)/ associate(s), if any, and to submit the same to the Principal along with the tender document/contract before signing the contract. The Bidder(s) [Contractor(s)] shall be responsible for any violation(s) of the provisions laid down in the Integrity Pact Agreement by any of its subcontractors/ sub-vendors / associates.
- 6.3 The Principal will disqualify from the tender process all bidders who do not sign this Integrity Pact or violate its provisions.

SECTION 7 — CRIMINAL CHARGES AGAINST VIOLATING BIDDER(S)/ CONTRACTOR(S)

- 7.1 If the Principal receives any information of conduct of a bidder Contractor(s) or sub-contractor/ sub-vendor/ associates of the Bidder(s)/Contractor(s) which constitutes corruption or if the Principal has substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the same to the Chief Vigilance Officer of the Principal for appropriate action.

SECTION 8 — INDEPENDENT EXTERNAL MONITOR(S)

- 8.1 The Principal appoints competent and credible Independent External Monitor(s) for this Pact. The task of the Monitor is to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this pact.
- 8.2 The Monitor is not subject to any instructions by the representatives of the parties and performs his functions neutrally and independently. He will report to the Chairman and Managing Director of the Principal.
- 8.3 The Bidder(s)/Contractor(s) accepts that the Monitor has the right to access without restriction to all product documentation of the Principal including that provided by the Bidder(s)/ Contractor(s). The Bidder(s)/ Contractor(s) will also grant the Monitor, upon his request and demonstration of a valid interest, unrestricted and unconditional access to his project documentation. The Monitor is under contractual obligation to treat the information and documents Bidder(s)/ Contractor(s) with confidentiality.
- 8.4 The Principal will provide to the Monitor sufficient information about all meetings among the parties related to the project provided such meeting could have an impact on the contractual relations between the Principal and the Bidder(s)/ Contractor(s). As soon as the Monitor notices, or believes to notice, a violation of this agreement, he will so inform the Management of the Principal and request the Management to discontinue or take corrective action, or to take other relevant action. The monitor can in this regard submit non-binding recommendations. Beyond this, the Monitor has no right to demand from the parties that they act in specific manner, refrain from action or tolerate action.
- 8.5 The Monitor will submit a written report to the Chairman & Managing Director of the Principal within-----to-----weeks from the date of reference or intimation to him by the principal and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.

- 8.6 If the Monitor has reported to the Chairman & Managing Director of the Principal a substantiated suspicion of an offence under relevant IPC/PC Act, and the Chairman & Managing Director of the Principal has not, within the reasonable time taken visible action to proceed against such offence or reported it to the Chief Vigilance Officer, the Monitor may also transmit this information directly to the Central Vigilance Commissioner.
- 8.7 The word '**Monitor**' would include both singular and plural.

8.8 Details of the Independent External Monitor appointed by the principal at present is furnished below: -
IEM-I

Shri Atul Jindal, IFS (retd.)
3/10, Vishesh Khand
Opp. Little Friend School,
Gomti Nagar
Lucknow – 226006

IEM-II

Shri Benny John, IRS (retd.)
Villa No. 36, Kent Palm Villas
Fort valley Town Ship, Athani,
Kakkanad,
Ernakulam- 682 030

Any changes to the same as required / desired by statutory authorities is applicable .

SECTION 9 - FACILITATION OF INVESTIGATION

- 9.1 In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the Principal or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the Bidder(s)/ Contractor(s) and the Bidder(s)/ Contractor(s) shall provide necessary information and documents in English and shall extend all help to the Principal for the purpose of verification of the documents.

SECTION 10 — LAW AND JURISDICTION

- 10.1 The Pact is subject to the Law as applicable in Indian Territory. The place of performance and jurisdiction shall the seat of the Principal.
- 10.2 The actions stipulated in this Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the extant law in force relating to any civil or criminal proceedings.

SECTION 11 — PACT DURATION

- 11.1 This Pact begins when both the parties have legally signed it. It expires after 12 months on completion of the warranty/ guarantee period of the project / work awarded, to the fullest satisfaction of the Principal.
- 11.2 If the Bidder(s)/Contractor(s) is unsuccessful, the Pact will automatically become invalid

after three months on evidence of failure on the part of the Bidder(s) / Contractor(s).

- 11.3 If any claim is lodged/made during the validity of the Pact, the same shall be binding and continue to be valid despite the lapse of the Pact unless it is discharged/determined by the Chairman and Managing Director of the Principal.

SECTION 12 — OTHER PROVISIONS

- 12.1 This pact is subject to Indian Law, place of performance and jurisdiction is the Registered & Corporate Office of the Principal at Bengaluru.
- 12.2 Changes and supplements as well as termination notices need to be made in writing by both the parties. Side agreements have not been made.
- 12.3 If the Bidder(s)/ Contractor(s) or a partnership, the pact must be signed by all consortium members and partners.
- 12.4 Should one or several provisions of this pact turn out to be invalid, the remainder of this pact remains valid. In this case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.
- 12.3 Any disputes/ difference arising between the parties with regard to term of this Pact, any action taken by the Principal in accordance with this Pact or interpretation thereof shall not be subject to any Arbitration.
- 12.4 The action stipulates in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the extant law in force relating to any civil or criminal proceedings.

In witness whereof the parties have signed and executed this Integrity Pact at the place and date first done mentioned in the presence of the witnesses:

For PRINCIPAL

For BIDDER(S)/CONTRACTOR(S)

(Name & Designation)

Witness

1) -----1) -----

2) -----2) -----

(Name & Designation)

Witness

अनुलग्नक-बी/Annexure -B

गैर-ब्लैक-लिस्टिंग के लिए प्रारूप/FORMAT FOR NON-BLACK-LISTING

(बोलीदाता कंपनी के पत्र-शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है/To be furnished on the Bidder Company's Letter-Head)

गैर-ब्लैक-लिस्टिंग के लिए उपक्रम/Undertaking for Non-Black-listing

प्रमाणित किया जाता है कि हम मैसर्स को किसी भी सरकारी विभाग/संगठन द्वारा 'ब्लैक लिस्ट' नहीं किया गया है, पिछले 5 वर्षों में दोषपूर्ण / दोषपूर्ण सेवा या व्यवसाय आचरण से संबंधित किसी भी कारण से।

Certified that We M/s have not been 'Black-listed' by any Government Department/Organizations, in the last 5 years for defective /deficient service or any such reason related to Business Conduct.

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर/Signature's of the bidder.

संभावित बोलीदाताओं (एसआईए) के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

SOME IMPORTANT POINTS FOR THE PROSPECTIVE BIDDERS (SIAs)

A व्यवसाय को बैक-टू-बैक आधार पर संबोधित और संचालित किया जाएगा। इसका मतलब है कि सभी

भुगतान, पुरस्कार, दंड SIA/BA के खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।

The business would be addressed and conducted on Back-to-Back basis. It means that all Payments, Rewards, Penalties would be passed on to the account of the SIA/BA.

इस शीट पर हस्ताक्षर करके, बोलीदाता (एसआईए) उपरोक्त शर्तों की पुष्टि कर रहा है

By signing this sheet, the Bidder (SIA) is confirming to the above conditions.

कार्यालय की मुहर के साथ बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर:

Signature of the bidder with Office Seal:

घोषणा/DECLARATION

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि बिजनेस एसोसिएट के पैनल में शामिल होने के लिए इस आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य/पूर्ण और सही हैं। किसी भी समय किसी भी जानकारी के गलत पाए जाने की स्थिति में, हमारी फर्म को आवंटित क्रय आदेश/कार्य रद्द माना जाएगा।

I/We hereby declare that all statements made in this application form for empanelment of Business Associate is true/complete and correct to the best of my/our knowledge. In the event of any information found false at any time, the purchase order / work allotted on our firm deemed to be cancelled.

दिनांक/Date

हस्ताक्षर/Signature

कंपनी की मुहर

Seal of the company

नाम और पदनाम

Name and Designation.

ध्यान दें/Note:

किसी भी प्रश्न / स्पष्टीकरण के लिए किसी भी कार्य दिवस में या हमारे ईमेल आईडी के माध्यम से हमारे

कार्यालय से संपर्क करने में संकोच न करें: ro_hyd@itilttd.co.in

For any queries / clarifications feel free to contact our office in any working days or through our email ID: ro_hyd@itilttd.co.in

संबंधित निविदा/पूछताछ के लिए नियम और शर्तें आपको भेजी जाएंगी/हमारी वेब साइट/सीपीपी पोर्टल में प्रकाशित की जाएंगी

Terms and conditions for related Tender/enquiry will be sent to you/Published in our web site / CPP Portal.

जाँच सूची / संलग्नकों की सूची/Check list / list of enclosures.

1. इकाई के पंजीकरण की प्रति (साझेदारी विलेख या ज्ञापन लेखों के साथ)।
Copy of registration of unit (with partnership deed or memorandum of articles).
2. इनकम टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की कॉपी
Copy of income Tax Clearance certificate.
3. बिक्री कर पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
Copy of Sales Tax registration Certificate.
4. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
Copy of GST registration Certificate.
5. नवीनतम बैलेंस शीट/वार्षिक रिपोर्ट की प्रति।
Copy of the latest balance sheet/annual report.
6. वार्षिक कारोबार/वित्तीय क्षमता का प्रमाण (सीए द्वारा जारी प्रमाण पत्र)।
Proof of annual turnover/financial capacity (Certificate issued by CA).
7. अनुभव विवरण / क्रेडेंशियल का प्रमाण। (पात्रता मानदंड के अनुसार)
Proof of experience details/credentials. (As per Eligibility Criteria)
8. आईटीआई/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी/कॉर्पोरेट क्षेत्र आदि के साथ अनुभव का प्रमाण
Proof of experience with ITI/Public sector/Government/Corporate sector etc.
9. सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की कॉपी। (छह महीने के भीतर)।
Copy of solvency certificate. (Within six months).
10. सीए द्वारा जारी पिछले छह महीनों के लिए नेट वर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी
Copy of Net worth Certificate for last six months Issued by CA.
11. हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी की मुख्तारनामा की नोटरीकृत प्रति
Notarized Copy of power of attorney of signing authority.
12. प्रमाणन/पुरस्कार प्राप्त (यदि, कोई हो)।
Certification/awards received (if, any).
13. निविदा एक कवरिंग लेटर के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिस पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों और प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या के साथ मुहर लगी हो।
Tender should be submitted with a covering letter, duly signed and stamped on each page with page No.
14. सभी ईओआई शर्तों का अनुपालन
Compliance to all the EOI terms.

